रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] दिल्ली, मई 27, 2019/ज्येष्ठ 6, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 52

No. 01] DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/ JYAISTHA 6, 1941 [N.C.T.D. No. 52

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 मई, 2019

**दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2019**

**सं. एफ.17(85)/डीईआरसी/इंजी./2019-2020/6432/418.**—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के अधिनियम 36) की धारा 46, 50 के साथ पठित धारा 57, 181 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में इसको सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पिछले प्रकाशनों के पश्चात् एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 (इसके पश्चात "प्रमुख विनियम" के रूप में उल्लिखित) के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया जाता है:

**1.0 लघु शीर्षक और प्रारंभन:**

(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2019 कहा जाए।

(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

**2.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (1) में संशोधन**

प्रमुख विनियमों के विनियम 17 में, उप-विनियम (1) हेतु, निम्नलिखित को इनसे प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1) **कनेक्शन का हस्तांतरण**

(i) ***यदि किसी भी आवेदक को किसी भी कारण से कनेक्शन के हस्तांतरण की आवश्यकता होती है जैसे कि संपत्ति के स्वामित्व या अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन, कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरण आदि, तो वह आयोग के आदेशों में अधिसूचित निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसधारी के पास आवेदन करेगा:***

बशर्ते कि उन मामलों में जहां उप-पंजीयक कार्यालय की प्रणाली से डेटा प्राप्त हुआ हो, जैसे कि नए मालिक के नाम पर संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण के बाद विक्रेता के विवरण (नाम, सीए नंबर इत्यादि) और क्रेता की जानकारी (नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर), तब वितरण लाइसेंसधारी अलग से किसी अनुरोध और अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना कनेक्शन के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करेगा:

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में, यदि संपत्ति को कई मालिकों के नाम पर हस्तांतरित किया जा रहा है, तो कनेक्शन पहले मालिक के नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि यदि संपत्ति के अन्य मालिक बिजली कनेक्शन के लिए अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो वे नाम बदलने हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित वितरण लाइसेंसधारी से अनुरोध करेंगे।

(ii) ***आवेदन में किसी भी कमी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। आवेदन केवल ऐसी कमियों को हटाने पर ही स्वीकार किया जाएगा।***

(iii) ***कनेक्शन के हस्तांतरण हेतु अनुरोध को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित कनेक्शन के संबंध में सभी वसूली योग्य बकाया का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया जाता हैं:***

बशर्ते कि एक बार कनेक्शन हस्तांतरित हो जाने पर, नए उपभोक्ता से किसी भी देय राशि / बकाया नहीं वसूला जाएगा।

(iv) ***आवेदन की स्वीकृति या बकाए के समाशोधन, जो भी बाद में हो, के बाद आवेदक के नाम का परिवर्तन दो बिलिंग चक्रों के भीतर प्रभावी होगा।***

*बशर्ते कि उन मामलों में जहां उप-पंजीयक कार्यालय की प्रणाली से प्राप्त डेटा के आधार पर नाम परिवर्तन किया गया है, वितरण लाइसेंसधारी, यदि वांछित है, तो नए उपभोक्ता को आवश्यकता अनुसार दस्तावेज जमा करने के लिए कह सकता है:*

*बशर्ते यह भी कि उन मामलों में जहां उप-पंजीयक कार्यालय की प्रणाली से प्राप्त डेटा के आधार पर नाम परिवर्तन किया गया है, तथा विवाद के मामलों में, वितरण लाइसेंसधारी, यदि वांछित है, तो संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय से दस्तावेजों को मांगने का विकल्प भी हो सकता है:*

***बशर्ते यह भी कि नए बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु नियमों एवं शर्तों की घोषणा सहित विनियमों के प्रावधान नए उपभोक्ता और लाइसेंसधारी पर भी लागू होंगे।***

(v) ***यदि आवेदक के नाम का परिवर्तन दो बिलिंग चक्रों के भीतर नहीं होता है, तो उपभोक्ता मुआवजे की मांग का हकदार होगा और लाइसेंसधारी विनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट किए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।"***

महेन्द्र सिंह, सचिव

**नोट:** प्रमुख विनियम 17 अगस्त, 2017 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. सं. 218 पर प्रकाशित किए गए थे, प्रथम संशोधन विनियम 16 फरवरी, 2018 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. सं. 447 में प्रकाशित किया गया था और द्वितीय संशोधन विनियम 15 अक्तूबर, 2018 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. सं. 633 में प्रकाशित किया गया था तथा तृतीय संशोधन विनियम को 31 दिसंबर, 2018 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. सं. 697 में प्रकाशित किया गया था।

## DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

**NOTIFICATION**

Delhi, the 27th May, 2019

## Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Fourth Amendment) Regulations, 2019

**No. F.17(85)/DERC/Engg./2019-2020/6432/418**—The Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Section 46, 50 read with Section 57, 181 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”):

**1.0 Short title and commencement:**

(1) These regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Fourth Amendment) Regulations, 2019.

(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the official Gazette.

**2.0 Amendment of sub-Regulation (1) of Regulation 17 of Principal Regulations:**

In regulation 17 of Principal Regulations, for sub-Regulation (1), the following shall be substituted namely:-

**"(1) Transfer of connection**

**(i) If any applicant wants transfer of connection due to any reason such as change of consumer’s name due to change in ownership or occupancy of property, transfer to legal heir, etc. he shall apply to the Licensee in the prescribed format as notified in the Commission’s Orders:**

Provided that in cases where the data has been received from the system of Sub-Registrar Office such as details of seller (name, CA number(s) etc.) and buyer’s information (Name, email, mobile number) after the transfer of ownership of property in the name of new owner, the distribution licensee shall process transfer of connection without requirement of filing a separate request and additional documents:

Provided further that in such cases, if the property is being transferred in the name of multiple owners, the connection will be transferred in the name of first owner:

Provided also that if other owner(s) of the property wants to add their name for electricity connection, they shall request the distribution licensee alongwith the supporting documents as required for name change.

**(ii) Any deficiency in the application shall be intimated in writing. The application shall be accepted only on removal of such deficiencies.**

**(iii) The request for transfer of connection shall not be approved unless all recoverable dues in respect of the concerned connection are fully paid:**

Provided that once connection is transferred, no dues / arrears shall be recovered from the new consumer.

**(iv) The change of applicant's name shall be effected within two billing cycles, after acceptance of application or clearing of dues whichever is later:**

Provided that in cases where the name change has been effected based on data received from the system of Sub-Registrar Office, the distribution licensee, if so desire, may ask the new consumer to submit the documents as required:

Provided further that in cases where the name change has been effected based on data received from the system of Sub-Registrar Office, and in cases of dispute, the distribution licensee, if so desire, may also have option to seek the documents from the concerned Sub-Registrar Office:

**Provided also that the provisions of the Regulations including terms and conditions of declaration for release of new electricity connection shall also be applicable to new consumer and the Licensee.**

**(v) If the change of applicant's name is not effected within two billing cycles, the consumer shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified in Schedule-I of the Regulations."**

MAHENDER SINGH, Secy.

**Note**: The Principal Regulations were published on 17th August, 2017 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 218, First Amendment Regulations were published on 16th February, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 447, Second Amendment Regulations were published on 15th October, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 633 and Third Amendment Regulations were published on 31st December, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 697.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.05.28 22:18:49 +05'30'